न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–24/2023

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
29.05.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 17.01.2026 अंदर आदेश 06 नियम 18 वो धारा 151 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख आज वादी के आवेदन दिनांक 17.01.2026 अंदर आदेश 06 नियम 18 वो धारा 151 व्य0प्र0सं0 पर आदेश हेतु निश्चित है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि मुदई के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.06.2025 को न्यायालय आदेश दिनांक 29.10.2025 से 1000/– हर्जे पर स्वीकार किया गया। मुदई मजदूर वर्ग के गरीब व्यक्ति है तथा 1000/– हर्जे की राशि ससमय व्यवस्था नहीं कर सकें जिसके कारण विधि द्वारा प्रदत्त समयावधि के अंदर मुदई अपने वाद पत्र में अपना संशोधन नहीं कर सकें। न्यायालय द्वारा नालिश में संशोधन हेतु अनुमति देना न्याय के हित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुदई का आवेदन स्वीकार करते हुए मुदई को नालिश में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं हर्जे के राशि पर वादी के आवेदन को स्वीकार करने का निवेदन किया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा आदेश 06 नियम 18 एवं धारा 151 व्य0प्र0सं0 के तहत एक आवेदन दिनांक 17.01.2026 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि मुदई के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 11.06.2025 को न्यायालय आदेश दिनांक 29.10.2025 से 1000/– हर्जे पर स्वीकार किया गया। 1000/– हर्जे की राशि ससमय व्यवस्था नहीं कर सकें जिसके कारण विधि द्वारा प्रदत्त समयावधि के अंदर मुदई अपने वाद पत्र में अपना संशोधन नहीं कर सकें। मुदई का आवेदन स्वीकार करते हुए मुदई को नालिश में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। चूंकि, वादी का संशोधन आवेदन पूर्व में स्वीकृत हो चुका था किन्तु वादी द्वारा उक्त संशोधन नहीं किया जा	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–24/2023

बासदेव महतो.....वादी

बनाम

सुरसाती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 29.05.2026	सका। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी के आवेदन को स्वीकार करने से वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत असर पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहीत में वादी का आवेदन दिनांक 17.01.2026 को मो0–1,000 रू0 हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है एवं वादी को निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय–सीमा के अंदर वाद पत्र में आवेदनानुसार संशोधन करे। वाद दिनांक 19.06.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	